[2021] 9 एस. सी. आर. 81

भागवान नारायण गायकवाड

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(आपराधिक अपील सं. 1039 2021 का)

20 सितंबर, 2021

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.326-खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना-अभियोजन मामले के तहत दोषसिद्धि

अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ित पर एक घातक हथियार से हमला किया जिससे अपराध के दौरान उसका दाहिना हाथ और पैर कट गया-हालाँकि, पीड़ित तत्काल चिकित्सा उपचार के साथ बच गया और ट्रायल कोर्ट ने 12 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया।

अपीलार्थी सहित-दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त s.326 r/w। s.149 आई. पी. सी. और उनमें से प्रत्येक को 7 साल की सजा सुनाई गई थी

कठोर कारावास-सभी 12 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय के तहत वर्तमान अपीलार्थी (ए 1) सहित अभियुक्त ए 3, ए 4, ए 10 और ए 12 को दोषी पाया और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सामग्री की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।

विवादित फैसले के तहत-चार अभियुक्त व्यक्तियों, ए 3, ए 4, ए 10 और ए 12 के संबंध में अपील को समाप्त कर दिया गया-अपीलार्थी को 5 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने सजा को बढ़ाने के लिए अपनी दलीलों को सीमित कर दिया क्योंकि अपीलार्थी और घायल पीड़ित के बीच समझौता किया गया था-आयोजितः समझौते का सार यांत्रिक रूप में पूरी तरह से अनावश्यक था और पहले के संबंधों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, यदि कोई हो, या जब इस तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध या बाद में किस तरह के पारिवारिक संबंध विकसित हुए थे, तो ऐसे सभी तथ्य पूरी तरह से गायब थे और सामग्री रूढ़िवादी थी-समझौता इस न्यायालय की संतुष्टि को दर्ज नहीं करता है उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते समय पर्याप्त कारण दर्ज किए थे। s.326 आई. पी. सी.-हमले की क्रूरता है

अभिलेख के सामने से स्पष्ट है-घायल को जीवन भर के लिए अपंग कर दिया गया था-अपीलार्थी का कार्य अक्षम्य है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. समझौते में जिस बात का उल्लेख किया गया है और इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है, उसका सार, तथ्य का कथन यांत्रिक रूप में पूरी तरह से अनावश्यक है और पहले के संबंधों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, यदि कोई हो, या जब ऐसे सौहार्दपूर्ण संबंध या बाद में किस तरह के पारिवारिक संबंध रहे हैं।

विकसित, ऐसे सभी तथ्य पूरी तरह से गायब हैं और सामग्री रूढ़िवादी हैं, मोहम्मद में फैसले के पैराग्राफ 6 से नकल की गई प्रतीत होती है। इब्राहिम बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य (2018 की आपराधिक अपील संख्या 825) इस न्यायालय द्वारा 5 जुलाई, 2018 को निर्णय लिया गया। [पैरा 23] [89-एच; 90-ए-बी]

2. मुरली के मामले में हाल के फैसले में, इस न्यायालय ने न केवल समझौते पर बल्कि दूसरे पर भी विचार किया है उन परिस्थितियों को बढ़ाना और कम करना जिनमें अपराध हुआ है

अभियुक्त को आधी से अधिक सजा सुनाई गई है और तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, इस न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और सजा को ढाला है। [पैरा 24] [90-बी-सी]

3. वर्तमान अपीलार्थी के कहने पर की गई अपील का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपना पर्याप्त रिकॉर्ड किया है।

आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत उसे दोषी ठहराते समय कारण और न केवल यह तथ्य कि यह अपीलार्थी का पूर्व-नियोजित प्रयास था, उसने पीड़ित पर तलवार से हमला किया और उसका दाहिना पैर काट दिया।

घुटने के नीचे और कोहनी के नीचे दाहिने अग्रभाग और क्रूरता रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट है। [पैरा 26] [90-ई-एफ]

4. गलत काम करने वाले को सजा देना आपराधिक वितरण प्रणाली का दिल है, लेकिन इस अदालत को ऐसा कुछ नहीं लगता है

मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्त को आरोपों का दोषी ठहराए जाने के बाद उसके समक्ष न्यायसंगत सजा देने के लिए निचली अदालत का आकलन करने के लिए विधायी या न्यायिक रूप से दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई इस न्यायालय के निर्णयों को देखता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायालय सजा सुनाने में विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय विभिन्न कारकों के संयोजन को ध्यान में रखता है, अर्थात आनुपातिकता, निरोध, पुनर्वास, आदि। [पैरा 28] [90-एच; 91-ए-बी] भागवान नारायण गायकवाड़ बनाम।

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

5. समझौता यदि बाद के चरण में किया जाता है

घटना या दोषसिद्धि के बाद भी वास्तव में अभियुक्त और पीड़ित के परिवारों में कड़वाहट से बचने के लिए किए जा रहे अपराध की प्रकृति के अनुरूप दी गई सजा में हस्तक्षेप करने वाले कारकों में से एक हो सकता है और यदि संभव हो तो उनके संबंध को बहाल करना हमेशा बेहतर होगा, लेकिन समझौते को एक अकेले आधार के रूप में तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि अन्य उत्तेजक और कम करने वाले कारक भी समर्थन नहीं करते हैं और सजा को ढालने के लिए अभियुक्त के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, जिसकी हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी चाहिए। [पैरा 29] [91-बी-डी]

6. यह न्यायालय अपनी संतुष्टि दर्ज करने में सक्षम नहीं रहा है

घटना के 28 वर्षों के बाद अब जिस तरह का समझौता प्राप्त किया गया है और रिकॉर्ड पर रखा गया है, उसके संदर्भ में और यह न्यायालय उन पीड़ाओं से बेखबर नहीं हो सकता है जो पीड़ित ने इतने लंबे समय तक झेली हैं और जीवन के लिए अपंग हो गया है और पीड़ित का पैर और हाथ कथित घटना में काट दिए गए हैं और तब से वह जीवन के लिए लड़ रहा है और कृत्रिम हाथ और पैर से अपने दैनिक कार्यों का पीछा कर रहा है और अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को खो दिया है और स्थायी रूप से विकलांग हो गया है और अपीलार्थी का ऐसा कार्य अक्षम्य है। [पैरा 30] [91-डी-ई]

राम पूजन और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1973)

कर्नाटक और अन्य (की आपराधिक अपील संख्या 825) 2018) - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1973) 2 एससीसी 456

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

(2021) 1 एस. सी. सी. 726

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1039।

उच्च न्यायालय के 10.06.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1996 की आपराधिक अपील No.136 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रवीण सताले, सुश्री गुंजन मंगला,

राजीव शंकर द्विवेदी, सुशांत कुमार सरकार, ऋषभ जैन, सुश्री आरती द्विवेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

21] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, विजय

एस. खामकर, शशिभूषण पी. अदगांवकर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था रास्टोगी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

पीड़ित को मुआवजा। 3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 13 दिसंबर 1993 को शाम करीब 5:30 बजे सुभाष यादवराव पाटिल (घायल पीड़ित) वापस लौट रहे थे।

तेम्भुरनी से मालेगांव साइकिल पर। जब वह मुख्य सड़क के पास था, तो आरोपी लोग ट्रैक्टर में वहां पहुंचे और उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। पत्थर उसकी पीठ में लगा और एक आरोपी ने बाएं घुटने के नीचे उसके पैर पर सैटर का प्रहार किया। जब वह भागने लगा, तो वह नीचे गिर गया और वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थी ने घातक प्रहार किया

घुटने के नीचे और क्रूरता के कारण उसके दाहिने पैर पर हथियार (तलवार)

झटका, यह लगभग विकृत हो गया था और दरांती के प्रहार से बचने की कोशिश करते हुए, घायल ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर बचने की कोशिश की और झटका कोहनी के नीचे उसके दाहिने हाथ में लगा, जिसके कारण वह अलग हो गया और चोटों से बहुत खून बह रहा था और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया।

4. पीड़ित की जाँच करने वाले डॉ. विजय शिवराम उपासे (पीडब्लू 8) ने कहा कि जब रोगी को अस्पताल लाया गया तो घुटने के नीचे उनका निचला दाहिना पैर पूरी तरह से अलग और कटा हुआ था और कोहनी के नीचे दाहिना हाथ त्वचा से लटका हुआ था। उन्होंने केवल खून बहना बंद करने और घावों को ढकने के लिए चोटों पर पट्टी बांध दी थी। कि सभी जहाजों नसें खुली थीं और चोट की धमनियां नं। 1 और 4 काट दिए गए। बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था और तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना, पीड़ित को हुई सभी चोटों के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती। चोट संख्या। 1 और 4 जीवन के लिए खतरनाक थे।

5. चोटें न केवल क्रूर थीं, बल्कि घायल को इतनी गंभीर स्थिति में छोड़ दिया गया था कि उसे देखकर पीडब्लू 22 ने तुरंत भगवान नारायण गायकवाड बनाम की व्यवस्था की थी।

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [अजय रस्तोगी, जे।]

डॉ. पावले (पीडब्लू 12) विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए। पीडब्लू 22 ने आगे कहा कि यह केवल पीड़ित की दृढ़ इच्छा होगी और तत्काल चिकित्सा देखभाल के साथ वह जीवित रह सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तेंभुरनी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र-Ex.59, चोटों को इस प्रकार दिखाता हैः

" आई. दाहिने निचले पैर 1/3 के ऊपर तेज कटा हुआ दही। यह था। पूरी तरह से काट लें।

1/2 " .

iii. घाव 1⁄2% चोट नंबर 1 बाहरी पक्ष, 1 "x 1⁄4" से ऊपर।

iv. दाहिनी अग्र भुजा, मध्य भाग के नीचे 1 "पर तेज कटा हुआ,

हाथ पूरी तरह से काट दिया गया। वी. कान के पीछे बाईं ओर 4 "x 4" चीरा हुआ घर्षण।

6. शुरू में 12 अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करना पड़ा और उन्हें दोषी ठहराया गया।

विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा सुभाष यादवराव पाटिल (पीडब्लू-7) को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और उनमें से प्रत्येक को 7 वर्ष आर. आई. और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 1000 / - प्रत्येक को, डिफ़ॉल्ट रूप से, 26 फरवरी, 1996 के निर्णय द्वारा छह महीने की अवधि के लिए आर. आई. भुगतना होगा। अपील होने पर सभी 12 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से पेश किए गए, उच्च न्यायालय ने 10 जून, 2021 के अपने विवादित फैसले के तहत वर्तमान अपीलार्थी (ए 1) सहित अभियुक्त ए 3, ए 4, ए 10 और ए 12 को दोषी पाया और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सामग्री की कमी के कारण,

विवादित फैसले के तहत बरी कर दिए गए। चार अभियुक्त व्यक्तियों, ए 3, ए 4, ए 10 और ए 12 के संबंध में अपील निरस्त कर दी गई।

7. विद्वान वकील द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया निवेदन

अपीलार्थी के लिए यह था कि घटना वर्ष 1993 की है और अपीलार्थी मुकदमे के दौरान जमानत पर था और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील भी लंबित थी और 28 वर्षों के बाद ठोस सजा भुगतने के लिए वापस लौटना अनुचित होगा, लेकिन विवादित फैसले में कारण बताए जाने के बाद उसके तर्क को खारिज कर दिया गयाः

" 30. यह संबंधित वकील द्वारा विशिष्ट प्रस्तुति थी।

अपीलार्थियों के लिए उपस्थित होना कि घटना की है

वर्ष 1993

और कि अपीलार्थी 1996 से जमानत पर हैं और वह, वापस करने के लिए

उन्हें मूल सजा भुगतनी अनुचित होगी

23 साल बाद। हालाँकि, अदालत इस तथ्य [2021] 9 एस. सी. आर. से अनजान नहीं हो सकती है।

इतने वर्षों तक कृत्रिम हाथ और पैर और उनके हाथ और पैर को काटना पड़ा। 35. पीड़ित जीवन भर के लिए अपंग हो गया है। यह सच है कि वह एक कृत्रिम हाथ और पैर के साथ अपने दैनिक कार्यों का पीछा कर रहा है, लेकिन उसने अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को खो दिया है। जिन डॉक्टरों ने पीडब्लू 7 की जांच की थी

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तत्काल उपचार के अभाव में, मृत्यु निश्चित थी। गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है

पीड़ित की, जिसकी पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है। 8. यह प्राथमिक कारण था जिसका समर्थन करते हुए

आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत दोषी ठहराए जाने पर, अपीलार्थी को 5 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सजा सुनाई जाती है। 2 पीड़ित को आर्थिक मुआवजे के रूप में लाखों।

9. आत्मसमर्पण से छूट के आवेदन को विद्वान चैंबर न्यायाधीश द्वारा 14 जुलाई, 2021 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ही, अपीलार्थी ने 5 अगस्त 2021 को आत्मसमर्पण कर दिया। इस अदालत को सूचित किया जाता है कि उसने 5 महीने के इस समय तक वास्तविक सजा काट ली है।

10. अभिलेख इंगित करता है कि इस न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और जब मामला प्रवेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी ने गुण-दोष पर तर्क नहीं दिया और इस कारण से सजा को बढ़ाने के लिए अपनी प्रस्तुति को सीमित कर दिया कि अपीलार्थी और घायल पीड़ित के बीच समझौता किया गया है और इसके समर्थन में, पीड़ित का 13 जुलाई, 2021 का एक समझौता हलफनामा रिकॉर्ड पर रखा गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि पीड़ित अपीलार्थी को शेष सजा से गुजरने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता है और परिवारों के बीच शांति और सद्भाव को ध्यान में रखते हुए, यह कहा गया है

शिकायतकर्ता पीड़ित द्वारा अपराध को बढ़ाने का अनुरोध किया गया और प्रस्तुत किया गया

कि अपीलार्थी को सजा सुनाए जाने पर रिहा किया जाए।

11. रिकॉर्ड पर रखे गए समझौते के हलफनामे के बल पर विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि जब पक्षकारों ने समझौता कर लिया है

उनके विवाद सौहार्दपूर्ण हैं और परिवारों के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हैं और वे अब दोनों के साथ वैवाहिक संबंध रखते हुए निकटता से संबंधित हैं। दूसरे का परिवार और घटना गलतफहमी के कारण और पल भर में हुई है और प्रस्तुत किया है कि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से प्रार्थना की है, दोनों परिवारों के बीच शांति और सद्भाव के हित में और शिकायतकर्ता द्वारा अपराध को बढ़ाने के अनुरोध के अनुसार और भागवान नारायण गायकवाड़ बनाम।

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [अजय रस्तोगी, जे।]

न्याय के हित में, उसे सजा सुनाए जाने पर रिहा किया जा सकता है और उसने राम पूजन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 और मुरली बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

12. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने अपीलार्थी के साथ हाथ मिलाया है और प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा एक संयुक्त हलफनामा दायर किया गया है।

घायल शिकायतकर्ता (पीडब्लू-7) और उसे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है

अदालत ने कहा कि घायल पीड़ित के हलफनामे के पैरा 3 के संदर्भ में, पक्षों ने अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल कर लिए हैं और यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को सजा की अवधि के बाद रिहा किया जाए। 13. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील श्री सचिन पाटिल ने अपीलार्थी द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली का अंतिम उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधी को उचित लागू करके कानून के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकना है।

वाक्य। यह हमेशा उम्मीद की जाती है कि अदालतें सजा देने की प्रणाली का संचालन करेंगी ताकि ऐसी सजा दी जा सके जो समाज की अंतरात्मा को दर्शाती है और सजा देने की प्रक्रिया को सख्त होना चाहिए।

जहां यह होना चाहिए और ऐसे आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, उच्च न्यायालय के 10 जून, 2021 के विवादित फैसले के बाद प्राप्त कथित समझौते का, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है और उनके अनुसार, घटना के 28 वर्षों के बाद इस तरह का समझौता न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए जबरदस्ती या प्रलोभन द्वारा प्राप्त किया जाता है, बल्कि यह कानून और समाज की प्रभावशीलता के बारे में जनता के विश्वास को कम करता है।

14. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी सजा सुनाते समय घटना की प्रकृति, उनके संबंधित कारकों, जिनमें अपराध किया गया है, पर ध्यान दिया है और प्रासंगिक परिस्थितियों को निष्पक्ष तरीके से नाजुक तरीके से संतुलित किया है, जिसमें आम तौर पर कथित समझौता किए जाने के कारण हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और घटना के 28 वर्षों के बाद रातोंरात सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हो जाते हैं। 15. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि घटना 13 दिसंबर 1993 की है, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने 26 फरवरी, 1996 के अपने निर्णय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया और वर्ष 1996 में अपीलार्थी के कहने पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई, जिसका निर्णय जून, 2021 में हुआ और अपीलार्थी पूरे समय जमानत पर था।

1973 (2) एस. सी. सी. 456

22021 (1) एससीसी 726 [2021] 9 एस. सी. आर.

परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कभी भी आगे नहीं आए, लेकिन दोषसिद्धि को बरकरार रखने और अपीलार्थी को अब सजा से गुजरने के बाद ही, इस तरह के समझौता हलफनामे को सजा से बचने के लिए उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है जो आम तौर पर कोई विश्वसनीयता नहीं जोड़ता है और प्रस्तुत करता है कि जो समझौता हलफनामे दायर किए जा रहे हैं, उनकी प्रामाणिकता और वास्तविकता प्रत्येक मामले के तथ्यों में दर्ज की जानी चाहिए और प्रस्तुत करता है कि शिकायतकर्ता को स्थायी विकलांगता की चोट को देखते हुए, जो शिकायतकर्ता को हुई है, वर्तमान अपीलार्थी रिकॉर्ड पर समझौते की ढाल के बावजूद किसी भी नुकसान का हकदार नहीं है।

भोगवाद।

16. हमने तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

पक्षों की ओर से आगे बढ़ाया गया और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

17. यह विवाद में नहीं है कि आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध सी. आर. पी. सी. की धारा 320 के अनुसार गैर-शमनीय है। का मामला

अभियोजन पक्ष का कहना है कि अपीलार्थी ने घायल पीड़ित (पीडब्लू-7) पर एक घातक हथियार (तलवार) से हमला किया था जिससे अक्षमता की स्थायी प्रकृति पैदा हुई थी और क्रूरता रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है। 13 दिसंबर, 1993 को हुए अपराध के दौरान उनका दाहिना हाथ और पैर काट दिया गया था। पीड़ित को दी गई दृढ़ इच्छाशक्ति और तत्काल चिकित्सा उपचार के कारण ही वह बच सका। यह भी इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा कहा गया था कि तत्काल की अनुपस्थिति में

चिकित्सा उपचार, उनकी मृत्यु निश्चित थी।

2021 पक्षकारों के बीच हुआ लेकिन तथ्य यह है कि उसे आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत दोषी ठहराए जाने और 5 साल की कठोर सजा सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय के दिनांक 10 जून 2021 के विवादित फैसले के तहत कारावास, ऐसे सभी पारिवारिक संबंध आधार पर आए और उन्होंने जिस तारीख को सूचित किया गया है, उस तारीख तक शायद ही 5 महीने की सजा काट ली हो।

यह न्यायालय।

भागवान नारायण गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [अजय रस्तोगी, जे।]

20. यह न्यायालय इसके पैरा 3 को निकालना उचित समझता है।

पीड़ित द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2021 को दायर किया गया समझौता हलफनामा इस प्रकार हैः

" 3. कि प्रतिनिधि आगे प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन घटना 13/12/1993 पर हुई थी, यानी लगभग 28 साल पहले गलतफहमी के कारण और पल भर में। याचिकाकर्ता और एक ही कबीले के प्रतिनिधि और वे सभी एक ही गाँव में हैं और समय बीतने के साथ, याचिकाकर्ता और प्रतिनिधि के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हो गए हैं। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी अब बहुत निकट संबंध रखते हैं और एक दूसरे के परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बना रहे हैं। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के परिवार एक-दूसरे के कार्यों में भाग लेते हैं। इस विशाल समय अंतराल के साथ, एक-दूसरे के बीच की दुर्भावनाएँ दूर हो गई हैं और दोस्ती का रूप ले लिया है। याचिकाकर्ता 65 वर्षीय व्यक्ति है जो हृदय रोग से पीड़ित है और उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।

शिकायतकर्ता ने दोनों पक्षों के हित में और इसलिए दोनों परिवारों के बीच शांति और सद्भाव के हित में भी याचिका दायर की है
यह शपथ पत्र अपराध को बढ़ाने की अनुमति देता है।

21. राम पूजन और अन्य (ऊपर) और मुरली (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपना संतोष दर्ज किया है कि

समझौता जबरदस्ती और प्रलोभन से प्राप्त नहीं किया गया है और बिना किसी आरक्षण/चेतावनी के स्वतंत्र इच्छा के साथ दर्ज किया गया है, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और विचाराधीन वाक्य को बदलकर विचार किए जाने वाले शमन कारक में से एक हो सकता है। 22. हम कानूनी सिद्धांतों और उन तथ्यों पर पूरी तरह से सहमत हैं जो इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में देखे गए हैं। लेकिन हम।

समझौते की सामग्री पर हमारी संतुष्टि दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं जो दोषी ठहराए जाने के बाद रातोंरात प्राप्त की गई है

दिसंबर 1993 की घटना के लिए विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 326 की पुष्टि की जा रही है।

23. समझौते के पैराग्राफ 3 में जिस बात का उल्लेख किया गया है और जिस पर हमने ध्यान दिया है, तथ्य का कथन पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

21] 9 एस सी आर।

यांत्रिक रूप में अनावश्यक और पहले के संबंधों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, यदि कोई हो, या जब इस तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध या बाद में किस तरह के पारिवारिक संबंध विकसित हुए हैं, तो ऐसे सभी तथ्य पूरी तरह से गायब हैं और सामग्री रूढ़िवादी हैं, मोहम्मद के फैसले के पैराग्राफ 6 से नकल की गई प्रतीत होती है। इब्राहिम बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2018 की आपराधिक अपील संख्या 825) इस न्यायालय द्वारा 5 जुलाई, 2018 को निर्णय लिया गया।

24. मुरली (उपरोक्त) मामले में हाल के फैसले में, इस न्यायालय ने न केवल समझौते पर विचार किया है, बल्कि दूसरे उत्तेजक पर भी विचार किया है और उन परिस्थितियों को कम करते हुए जिनमें अपराध किया गया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि अभियुक्त ने आधी से अधिक सजा काट ली है और तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, इस न्यायालय ने सजा में हस्तक्षेप किया है और सजा को ढाला है।

25. दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्णय लेने के लिए

किसी अपराध के लिए न्यायसंगत और उचित सजा दी जानी चाहिए, ऐसे उत्तेजक और कम करने वाले कारक और परिस्थितियाँ जिनके कारण अपराध हुआ है।

जो किए गए हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से प्रासंगिक परिस्थितियों के आधार पर नाजुक रूप से संतुलित किया जाना चाहिए।

26. वर्तमान अपीलार्थी के कहने पर की गई अपील का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने पर्याप्त कारणों को दर्ज किया है

तलवार से और उसके दाहिने पैर को घुटने के नीचे और दाहिने अग्रभाग को कोहनी के नीचे काट दिया और क्रूरता के चेहरे पर स्पष्ट है रिकॉर्ड करें।

27. यह न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि घायल पीड़ित जीवन भर के लिए अपंग हो गया है और कृत्रिम हाथ और पैर से अपने दैनिक कार्यों को कर रहा है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को खो दिया है और स्थायी रूप से विकलांग हो गया है। यह पीडब्लू 8 द्वारा कहा गया है कि अनुपस्थिति में

तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए, मृत्यु निश्चित थी और यही कारण था कि उस समय के दौरान उनकी मृत्यु की घोषणा भी दर्ज की गई थी, हमारे विचार में, ऐसी क्रूरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपराध समाज के खिलाफ है जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

28. गलत काम करने वाले को सजा देना आपराधिक वितरण प्रणाली का केंद्र है, लेकिन हम कोई विधायी या न्यायिक रूप से निर्धारित भागवान नारायण गायकवाड बनाम नहीं पाते हैं।

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [अजय रस्तोगी, जे।]

अभियुक्त को आरोपों का दोषी ठहराए जाने के बाद उसके समक्ष मुकदमे का सामना करने वाले अभियुक्त को न्यायसंगत सजा देने के लिए निचली अदालत का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश। फिर भी, यदि कोई इस न्यायालय के निर्णयों को देखता है, तो यह प्रतीत होता है कि यह न्यायालय सजा सुनाने में विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय विभिन्न कारकों के संयोजन को ध्यान में रखता है, जो कि आनुपातिकता है,

निवारण, पुनर्वास आदि।

30. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हम उस तरह के समझौते के संदर्भ में अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं कर पाए हैं जो अब घटना के 28 वर्षों के बाद प्राप्त किया गया है और रिकॉर्ड पर रखा गया है और यह न्यायालय उन पीड़ाओं से बेखबर नहीं हो सकता है जो पीड़ित ने इतने लंबे समय तक झेली हैं और आजीवन अपंग हो गया है और 13 दिसंबर, 1993 की कथित घटना में पीड़ित का पैर और हाथ काट दिया गया है और तब से वह जीवन के लिए लड़ रहा है और अपने दैनिक का पीछा कर रहा है। एक कृत्रिम हाथ और पैर के साथ काम करना और अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को खो देना और स्थायी रूप से अक्षम हो जाना और अपीलार्थी का ऐसा कार्य अक्षम्य है।

31. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, हम दिनांकित कथित समझौते का कोई लाभ देने के लिए इच्छुक नहीं हैं

13 जुलाई, 2021 को विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने के लिए, जिसमें कम से कम इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

32. नतीजतन, अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान